केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मनिरका
नई दिल्ली – 110067

संचिका सं.CICOM/R/2018/00468 **दिनांक 09.05.2018**

सेवा में,

श्री सय्यद मौ0 उमर,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 01.05.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो दिनांक 07.05.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 128672) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 08.05.2018 को प्राप्त हुआ, से संबंधित सूचना निम्नलिखित है:-

बिंदु सं. 1	केन्द्रीय सूचना आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की सुनवाई हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है । राज्य सूचना आयोगों के संबंध में संबंधित राज्य सूचना आयोग से सूचना प्राप्त करें ।
बिंदु सं. 2 व 5	वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है ।
बिंदु सं. 3 व 4	वांछित सूचना हेतु सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 जो आयोग की वेबसाईट के लिंक http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf सहित पब्लिक डोमेन (इंटरनेट) में आसानी से उपलब्ध है की धारा 11 (तीसरा पक्ष) एवं धारा 20 (शास्ति) का अवलोकन करें ।
बिंदु सं. 6 व 7	सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त द्वितीय अपीलों/शिकायतों से संबंधित केन्द्रीय सूचना आयोग आदेश का अनुपालन नहीं होने पर या आदेशों अनुपालन में प्रदान की गई सूचना से सहमत नहीं होने पर केन्द्रीय सूचना आयोग में नॉन-कम्पलायंस आवेदन दाखिल किया जा सकता है ।
बिंदु सं. 8	वांछित सूचना केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी (एम एंड आर) द्वारा प्रदान की जाएगी जिन्हें आपका आवेदन आर.टी.आई. – एम.आई.एस. द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित कर दिया गया है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष – 011-26162290 पर की जा सकती है ।

अशोक कु शर्मा

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष – 011-26172690

1	**श्री जीवन चंद, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी (एम एंड आर), केन्द्रीय सूचना आयोग ।**	बिंदु सं. 8	उक्त आवेदन दिनांक 08.05.2018 को आर.टी.आई.-एम.आई.एस. के द्वारा ऑलाइन अग्रसारित किया जा चुका है । कृपया वांछित सूचना निर्धारित अवधि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि वांछित सूचना आपसे संबंधित नहीं है तो कृपया संबंधित अधिकारी को अग्रसारित करें ।